न्यायामूर्ति** मुकुल मुद्गल , सीजे और अजय तिवारी , **जे. के समक्ष

पवन कुमार और अन्य, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ^*प्रतिवादी*

सीडब्ल्यूपी नं. 3403 का
एवं अन्य संबंधित रिट याचिकाएँ

14 सितंबर. 2010

भारत का संविधान, 1950-कला. 226, 243, 243-बी, 243-सी और 243-डी-हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994-एस.एस. 9, 59 एवं 120-हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994-आरआई। 6—ग्राम पंच आयतों के लिए चुनाव—एससी और एससी/(महिलाओं) के लिए सरपंचों के कार्यालयों का आरक्षण —अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (7) के प्रावधान आरक्षण की सीमा तक लागू होंगे, न कि अवधारणा पर।

चक्रानुक्रम - धारा 9 की उपधारा (I) के अनुसार, आरक्षण अनुसूचित जाति की जनसंख्या और सामान्य श्रेणी के मतदाताओं की जनसंख्या के समान अनुपात पर होगा - यदि किसी विशेष गांव में अनुसूचित जाति के पंच के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया जा सकता है , तो वह गाँव को रोटेशन के सिद्धांत से बाहर करना होगा - याचिका स्वीकार की गई, हालाँकि, ऐसी व्याख्या को अगले पंचायत चुनावों से लागू करने का आदेश दिया गया।

माना गया कि **डॉ. के कृष्ण मूर्ति और अन्य** *बनाम* **भारत संघ और अन्य मामले में,** घूर्णी नीति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आरक्षण के सिद्धांत पर रोटेशन के सिद्धांत को अधिलेखित किया गया है ताकि इससे बचा जा सके। किसी गाँव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिशत होने के बावजूद किसी विशेष गाँव के सरपंच का पद हमेशा के लिए आरक्षित होने की संभावना । इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (7) के प्रावधान लागू होंगे। आरक्षण की सीमा और रोटेशन की अवधारणा तक नहीं।

(पैरा 18)

इसके अलावा, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार, आरक्षण उसी अनुपात में होगा जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सामान्य श्रेणी के मतदाताओं की जनसंख्या से है। नतीजतन, यदि किसी विशेष गांव में अनुसूचित जाति के पंच के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो जाहिर तौर पर उस गांव को रोटेशन के सिद्धांत से बाहर करना होगा।

(पैरा 19)

गौरव मोहंता , अधिवक्ता रजनीश चड़वाल , एडवोकेट विक्रम सिंह, एडवोकेट सज्जन सिंह, एडवोकेट हरकेश मनुजा , एडवोकेट राजीव गोदारा , एडवोकेट आरडी गुप्ता, एडवोकेट आरएस मामली , एडवोकेट सीएस शन्ना, एडवोकेट अशोक कौशिक, एडवोकेट

विवेक गोयल , एडवोकेट एचपीएस औलख , एडवोकेट परमिंदर सिंह, एडवोकेट पंकज बाली, एडवोकेट रमेश हुडा , एडवोकेट राकेश गुप्ता, एडवोकेट सैलेंदर सिंह, एडवोकेट सैलेंदर शर्मा, एडवोकेट अशोक खुब्बर , एडवोकेट रणजीत सैनी, एडवोकेट जगदीश मनचंदा , एडवोकेट एके राठी , एडवोकेट एनपीएस मान, एडवोकेट राकेश नेहरा, एडवोकेट जेएस हुडा , एडवोकेट एसपी चाहर , एडवोकेट सुशील जैन , एडवोकेट सलोइंदर सिंह, एडवोकेट एसएस गोदारा , एडवोकेट सुरेंद्र सैनी, एडवोकेट जेएस सनेटा , एडवोकेट नवीन कौशिक, एडवोकेट एसके हुडा , एडवोकेट अनुज अरोड़ा, एडवोकेट मनीष सोनी , एडवोकेट आरडी यादव, एडवोकेट एसएस सिद्धू, एडवोकेट डीआर बंसल, एडवोकेट एमएस तेवतिया, एडवोकेट अरविंद सिंह, एडवोकेट मदन लाल , एडवोकेट शर्मिला शर्मा, एडवोकेट एनके जोशी, एडवोकेट विक्रम पुनिया , एडवोकेट हर्ष किनरा , एडवोकेट डिंपल सांगवान , एडवोकेट एके जैन, एडवोकेट

चंद्रहास यादव, अधिवक्ता

-पंकज जैन, अधिवक्ता

-संदीप कोटला , अधिवक्ता

, सैलेंडर कश्यप , अधिवक्ता

वीबी अग्रवाल, अधिवक्ता

एके बूरा , अधिवक्ता

संजय वर्मा , अधिवक्ता

-संजीव गुप्ता, अधिवक्ता

अमित कुमार गोयल , अधिवक्ता

बृजेंद्र कौशिक, अधिवक्ता

यूके अग्निहोत्री , अधिवक्ता

अरविंदर अरोड़ा, वकील

-जगदीप सिंह, एडवोकेट

दलेल सिंह नैन, एडवोकेट

भूपिंदर सिंह भिरागी , एडवोकेट

बीके बागरी, अधिवक्ता

राज मोहन सिंह, *याचिकाकर्ताओं के वकील।*

एचएस हुडा , महाधिवक्ता, हरियाणा, रणधीर सिंह, अतिरिक्त के साथ।

उत्तरदाताओं के लिए एजी, हरियाणा ।

माननीय मुकुल मुद्गल, मुख्य न्यायाधीश:

(1) 3781,3858,3976,3979,4017, 4056, 4084, 4143, 4154 का निपटान करेगा। 4575, 4582, 4691,4900,4989,5103,5341, 5488, 5496, 5519, 5524, 5533, 5680, 6752,6817,6818,6819,6890, 7212, 7515, 7525, 7529, 7533, 7541, 7542,7552, 7553, 7554,7555, 7561, 7590, 7616, 7714, 7737, 7739, 7960,8054,8061,8196,8241, 8246, 8295, 8312, 8319, 8323, 8334, 8340,8428,8482,8484,8512, 8542, 8543, 8593, 8633, 8641, 8645, 8653,8682,8974,9001,9031, 9055, 9057, 9118, 9128, 9160, 9219, 9266,9288,9303,9319,9323, 9333, 9338, 9371, 9498, 9524, 9537, 9572, 9732, 9735, 9825, 9891, 9910, 10084, 10236, 10237, 10360, 10536, 11212, 11278, 11730, 11784, 12955, 13002 , 13195, 13581, 13585, 13591, 2010 का 13995, क्योंकि इसमें कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल होते हैं। सुविधा के लिए 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 3403 से तथ्य निकाले जा रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2010 में हुए पंचायत चुनावों में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत सप्रंचों (अनुसूचित जाति पुरुषों और महिलाओं) के लिए सीटों के आरक्षण को चुनौती दी है।'

(3) भारत की संसद ने ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और आगे लोकतांत्रिक बनाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के पैट IX को शामिल किया।

(4) रिट याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 के अनुसार, ब्लॉक लाडवा की 63 ग्राम पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित की जानी हैं। स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ऐसे गांवों की सूची की एक प्रति अनुलग्नक पी-1 है। यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों के कार्यालय बोदला , करामी और सलेमपुर को वर्ष 1994 में और उंटेहारी को वर्ष 2000 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था। याचिकाकर्ता इन्हीं ग्राम पंचायतों के हैं । याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि ब्लॉक लाडवा की सूची के अनुसार , क्रमांक 3 से 29 तक की 27 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पद 1994 से कभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित नहीं किए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं की ग्राम पंचायतों के सरपंच बार-बार आरक्षित होते रहे हैं।

(5) उत्तरदाताओं द्वारा दी गई दलील यह है कि 2001 की जनगणना के मद्देनजर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा सरपंचों के पदों के आरक्षण के लिए आरक्षण की कार्यवाही की गई थी, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत ग्राम पंचायत में सबसे पहले था। याचिकाकर्ताओं के पद और, इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं से संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों के कार्यालय अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। इसके अलावा, उपायुक्त, भिवानी द्वारा मांगे गए एक प्रश्न पर , पंचायत निदेशक, हरियाणा ने निम्नानुसार उत्तर दिया: -

> "अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान के मद्देनजर, धारा 9, 59 की उप-धारा (1), (2), (3) और (5) और उप-धारा 1,2,3 के तहत सीटों का आरक्षण, *उपरोक्त* अधिनियम, 1994 की धारा 120 के 4 और 6 की प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद समीक्षा करनी होगी। तदनुसार, अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण दशकीय जनगणना यानी 2001 के बाद धारा 9, 59 और 120 की उप-धारा (1) के तहत अलग-अलग वार्डों में रोटेशन और लॉटरी द्वारा आवंटित किया जा सकता है।

(6) उत्तर में आगे उल्लेख किया गया है कि लीगल रिमेम्बरेंसर हरियाणा ने भी उपरोक्त आशय पर अपनी राय दी।

(7) इस याचिका के प्रयोजन के लिए, संविधान के अनुच्छेद 243,243-ए, 243-बी, 243-सी और 243-डी को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं: -

"243-परिभाषाएँ।-इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(a) 'जिला' का अर्थ किसी राज्य का एक जिला है;

(b) 'ग्राम सभा' का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी एक संस्था;

(c) 'मध्यवर्ती स्तर' का अर्थ है इस भाग के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव और जिला स्तरों के बीच का एक स्तर;

(d) 'पंचायत' का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243-बी के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था (चाहे जिस भी नाम से जाना जाए);

(e) 'पंचायत क्षेत्र' का अर्थ है किसी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र;

(f) 'जनसंख्या' का अर्थ पिछली पिछली जनगणना में सुनिश्चित की गई जनसंख्या है जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं;

(g) ' गाँव' का अर्थ है इस भाग के प्रयोजनों के लिए राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा एक गाँव के रूप में निर्दिष्ट गाँव और इसमें निर्दिष्ट गाँवों का एक समूह शामिल है।

243-ए-ग्राम **सभा** : एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जैसा कि राज्य का विधानमंडल कानून प्रदान कर सकता है।

243-बी-पंचायतों का गठन.- (1) इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, बीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है।

243-सी-पंचायतों की संरचना (1) इस भाग के प्रावधानों के अधीन, राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है:

बशर्ते कि किसी भी स्तर पर किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक संभव हो, पूरे राज्य में एक समान होगा,

(3) पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और, इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के बीच अनुपात हो। उसे आवंटित सीटों की संख्या, जहां तक संभव हो, पूरे पंचायत क्षेत्र में समान होगी।

(4) किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है-

(a) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या, किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें न होने की स्थिति में, जिला स्तर पर पंचायतों में;

(b) यदि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला स्तर पर पंचायतों में;

(c) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ऐसी पंचायत में ग्राम स्तर के अलावा किसी अन्य स्तर पर पूर्ण या आंशिक रूप से पंचायत क्षेत्र शामिल है;

(d) राज्यों की परिषद के सदस्यों और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की, जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं-

(i) मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत क्षेत्र , मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में;

(ii) जिला स्तर पर एक पंचायत क्षेत्र, पंचायत में
जिला स्तर पर.

(5) पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगा।

(6) के अध्यक्ष व्यक्ति-

(a) ग्राम स्तर पर पंचायत का चुनाव उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि राज्य की विधायिका, कानून द्वारा प्रदान कर सकती है; और

(b) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर एक पंचायत का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से किया जाएगा।

243-डी- **सीटों का आरक्षण.-** (1) सीटें इनके लिए आरक्षित की जाएंगी-

(a) अनुसूचित जातियाँ; और

(b) अनुसूचित जनजाति,

प्रत्येक पंचायत में और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पंचायत में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात में उतनी ही होगी जितनी उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या को दर्शाती है और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं।

(2) कम से कम एक तिहाई हिस्सा अनुसूचित जाति या, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटें हो सकती हैं। एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किया जाता है।

(4) गाँव या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए इस तरह से आरक्षित किए जाएंगे जैसा कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है: (जोर दिया गया)

अध्यक्षों के पदों की संख्या , प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या के समान अनुपात में होगी। राज्य में अनुसूचित जाति या राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या से मेल खाती है:

बशर्ते कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि इस खंड के तहत आरक्षित कार्यालयों की संख्या प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग पंचायतों को रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएगी। (जोर दिया गया)

(5) खंड (1) और (2) के तहत सीटों का आरक्षण और खंड (4) के तहत अध्यक्षों के कार्यालयों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा) अनुच्छेद 3 34 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

(6) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी पंचायत में सीटों या किसी भी स्तर पर अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

8)) संविधान के अनुच्छेद 243-डी(4) के अनुसार, हरियाणा राज्य ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संक्षेप में 'अधिनियम') अधिनियमित किया। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

9) **ग्राम पंचायत में सीटों का आरक्षण-(1)** प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, जितनी हो सके, कुल सीटों की संख्या के समान अनुपात में होगी। उस पंचायत में चुनाव द्वारा भरा जाता है क्योंकि पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या को दर्शाती है और ऐसी सीटें ऐसे वार्डों को आवंटित की जा सकती हैं जिनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की अधिकतम आबादी हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटें उप-धारा (1) के तहत आरक्षित विभिन्न वार्डों को रोटेशन और लॉटरी द्वारा आवंटित की जा सकती हैं ।).

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसी सीटें ' एक पंचायत में अलग-अलग वार्डों को छोड़कर रोटेशन और लॉटरी द्वारा

जो उप- धारा के अंतर्गत आते हैं ऑन (1) और (2)।

(4) सरपंचों के पद अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे:

ब्लॉक में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंचों के कार्यालयों की संख्या, ब्लॉक में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या का वही अनुपात होगी जो राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का है । राज्य की जनसंख्या:

ब्लॉक में सरपंचों के कुल कार्यालयों का कम से कम एक-तिहाई कार्यालय महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला सरपंचों के एक-तिहाई कार्यालय भी शामिल होंगे:

<u>बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत आरक्षित समंचों के कार्यालयों की संख्या को अलग-अलग ग्राम पंचायतों में घुमाया जाएगा, पहले अनुसूचित जातियों की सबसे बड़ी अधिकतम आबादी वाली और दूसरी, ऐसे वर्गों की दूसरी सबसे बड़ी अधिकतम आबादी वाली और इसी तरह।</u> (जोर दिया गया)

(5) उप-धारा (1) और (2) के तहत सीटों का आरक्षण और उप-धारा (4) के तहत सरपंचों के कार्यालयों का आरक्षण (महिलाओं के आरक्षण के अलावा) निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में.

(6) पिछड़े वर्ग से संबंधित एक पंच होगा, जिसकी जनसंख्या सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या अधिक है और ऐसी सीट ऐसे वार्ड को आवंटित की जाएगी जहां पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की अधिकतम आबादी है।

(7) <u>उपरोक्त उप-अनुभागों में उल्लिखित सीटों के आरक्षण की प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद समीक्षा की जाएगी,</u> (जोर दिया गया)।

(9) अधिनियम की धारा 58 पंचायत समितियों के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से संबंधित है , जबकि अधिनियम की धारा 59 और 120 पंचायत समितियों / जिला में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। परिषदें ।

पंचायत समितियों / जिला अध्यक्षों के संबंध में परिषद् में भी आरक्षण और चक्रानुक्रम के प्रावधान किए गए हैं जो ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के लिए किए गए प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(10) वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए विवाद का सार अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) और धारा 9 की उपधारा (7) के बीच परस्पर क्रिया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हवाना राज्य द्वारा उक्त प्रावधानों की व्याख्या के परिणामस्वरूप यह हुआ है कि अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी वाले कुछ गांवों में कभी भी सरपंच का पद आरक्षित नहीं किया गया है, जबकि कुछ गांवों में यह पद आरक्षित है। सरपंच का पद लगातार तीन चुनावों के लिए आरक्षित किया गया है। अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(11) के वकील ने आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) के तीसरे प्रावधान में कहा गया है कि सरपंच पद के लिए आरक्षण को उन सभी गांवों में घुमाया जाना चाहिए, जिनकी शुरुआत उस गांव से होती है, जहां अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला गांव, तीसरे चुनाव में तीसरे सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला गांव और चौथे चुनाव में चौथे सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला गांव 'और इसी तरह'। विद्वान वकील के अनुसार, 'और इसी तरह' वाक्यांश का तात्पर्य यह है कि उक्त परंतुक द्वारा परिकल्पित रोटेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ब्लॉक के प्रत्येक गांव को अनुसूचित जाति का सरपंच नहीं मिल जाता ।

(12) , विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा श्री हुडा का आग्रह है कि अधिनियम की धारा 9 में प्रदान किए गए सभी आरक्षण अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अधीन होंगे । उनकी याचिका के अनुसार, प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद, राज्य को यह देखना होगा कि किस विशेष गाँव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है और फिर गाँव से रोटेशन फिर से शुरू होगा। हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार, भले ही इस पद्धति के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां कुछ गांवों में बार-बार आरक्षण होगा, जबकि कुछ अन्य ऐसे होंगे जहां कभी कोई आरक्षण नहीं होगा, यह कानूनी होगा। उन्होंने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं जो आजादी के बाद से लगातार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहे हैं।

(13) विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा के तर्क का याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह कहकर विरोध किया कि यह रोटेशन नहीं है बल्कि आरक्षण की सीमा है जिसकी हर दशकीय जनगणना के बाद समीक्षा की जानी है। इस प्रकार, यदि 1990 की जनगणना में, ब्लॉक लाडवा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15% था, तो सरपंचों के 15% पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा, यदि 2000 की जनगणना के परिणामस्वरूप, ब्लॉक लाडवा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18% हो गया, तो सरपंचों के 18% पद आरक्षित होंगे। इसके अलावा, यदि 2010 की जनगणना के परिणामस्वरूप, ब्लॉक लाडवा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत गिरकर 16% हो गया। तब सरपंचों के 16% पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। हालांकि इससे रोटेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. विद्वान वकील के अनुसार, 1994 के चुनावों में लागू हुआ रोटेशन रोस्टर तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी ग्राम पंचायतें कम से कम एक बार आरक्षित नहीं हो जातीं। इस कथन के समर्थन में सीखा

याचिकाकर्ताओं के वकील संवैधानिक प्रावधान में इस शर्त पर भरोसा करते हैं कि 'इस खंड के तहत आरक्षित कार्यालयों की संख्या प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग पंचायतों को रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएगी।' उन्होंने तर्क दिया कि रोटेशन की अवधारणा को किसी भी तरह से आरक्षण की अवधारणा के अधीन नहीं कहा जा सकता है और दोनों ही ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक शक्ति के प्रभावी हस्तांतरण की संवैधानिक अनिवार्यता का समान रूप से अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए, रोटेशन की अवधारणा, जो अपने आप में सकारात्मक कार्रवाई का एक स्वतंत्र पहलू है, को इतना नष्ट नहीं किया जा सकता है कि इसे मिटा दिया जाए।

(14) वाक्यांश 'और इसी तरह' को निम्नलिखित शब्दकोशों में निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है:—-

(1) चैंबर्स डिक्शनरी: और समान या उस जैसे और भी; और इसका बाकी हिस्सा.

(2) द शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश: 'डिक्शनरी' का एक संक्षिप्त वाक्यांश। अधिक विवरण से बचें या विवरण की गणना.

(15) इस प्रकार, स्पष्ट शब्दकोश अर्थ के अनुसार, आवश्यक निहितार्थ यह होगा कि रोटेशन अंतिम गांव तक जारी रहेगा जहां सामान्य जनसंख्या में अनुसूचित जाति के अनुपात के अनुसार एक भी अनुसूचित जाति पंच होगा।

(16) इस भाषाई व्याख्या के अलावा, यह क्षेत्र अछूता क्षेत्र नहीं है। संविधान के भाग IX की संवैधानिक वैधता को **डॉ. केके कृष्ण मूर्ति और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी ।** *बनाम* **भारत संघ और अन्य , (1)**। घूर्णी नीति के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:—-

"5. अनुच्छेद 243-डी और 243-टी की व्यापक योजना निर्वाचित स्थानीय निकायों की संरचना में सामाजिक विविधता का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है ताकि समाज में पारंपरिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में योगदान दिया जा सके। इस नीति को आगे बढ़ाने का पसंदीदा साधन अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के पक्ष में सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण है । अनुच्छेद 243-डी(1) और अनुच्छेद 243-टी(एल) समान हैं क्योंकि उन्होंने यह निर्धारित किया है

(1) जेटी 2010 (5) एससी 601

पक्ष में सीटों का आरक्षण इन श्रेणियों की जनसंख्या और कुल जनसंख्या के बीच अनुपात के आधार पर किया जाना चाहिए।

विचाराधीन क्षेत्र. कहने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकारों को अन्य तरीकों के बीच जनसंख्या सर्वेक्षण जैसे अनुभवजन्य डेटा के आधार पर ऐसे आरक्षण की सीमा निर्धारित करने का अधिकार है, जिससे ' आनुपातिक' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जा सके। एफ प्रतिनिधित्व'. अनुच्छेद 243-डी(2) और अनुच्छेद 243-टी(2) आगे प्रावधान करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों के पूल में से, ऐसी कम से कम एक-तिहाई सीटें उन श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इसलिए, एक ओर महिलाओं के पक्ष में आरक्षण और दूसरी ओर एससी/एसटी के पक्ष में आरक्षण के बीच एक अंतरसंबंध है ।

पक्ष में आरक्षण के संबंध में , अनुच्छेद 243-डी(3) और अनुच्छेद 243-टी(3) में कहा गया है कि स्थानीय निकायों में सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। प्रथम दृष्टया, यह '

पर्याप्त प्रतिनिधित्व' के सिद्धांत का प्रतीक है। यह विचार तब काम में आता है जब यह पाया जाता है कि एक निश्चित डोमेन में एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट सीमा प्रदान की जाती है कि समय बीतने के साथ आबादी के इस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाए।

अध्यक्ष पदों के संबंध में, अनुच्छेद 243-डी(4) और अनुच्छेद 243-टी(4) राज्य विधानमंडलों को एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के पक्ष में इन कार्यालयों को आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। पंचायतों के मामले में, अनुच्छेद 243-डी(4) के पहले प्रावधान में कहा गया है कि पूरे राज्य में एससी और एसटी उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षित अध्यक्ष पदों की कुल संख्या इन श्रेणियों से संबंधित जनसंख्या के बीच अनुपात पर आधारित होनी चाहिए। और कुल जनसंख्या. पूरे राज्य में पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सभी अध्यक्ष पदों को संदर्भ के रूप में देखते हुए, अनुच्छेद 243-डी (4) के दूसरे प्रावधान में कहा गया है कि इनमें से एक तिहाई कार्यालय महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। अनुच्छेद 243-डी(4) के तीसरे प्रावधान में कहा गया है कि उक्त खंड के तहत आरक्षित अध्यक्ष पदों की संख्या को अलग-अलग पंचायतों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाएगा।

प्रत्येक टायर. यह घूर्णी नीति किसी विशेष कार्यालय को हमेशा के लिए आरक्षित किए जाने की संभावना के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय है। यह ध्यान रखना उचित है कि पंचायतों के लिए आरक्षण नीति के विपरीत, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पदों के आरक्षण के मार्गदर्शन के लिए अनुच्छेद 243-टी (4) के लिए कोई तुलनीय प्रावधान नहीं हैं .... ” (जोर दिया गया)

“40. स्थानीय स्वशासन में अध्यक्ष पदों के आरक्षण के खिलाफ मुख्य आलोचना यह है कि यह शत-प्रतिशत आरक्षण के समान है क्योंकि ये एकल पदों के समान हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है *(देखें:* **जनार्दन पासवान** *बनाम* **बिहार राज्य,** एआईआर 1988 पैट 75; **कृष्ण कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य,** एआईआर 1996 पैट 112), जिसमें यह माना गया था कि पंचायतों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि यह एकल सीटों के आरक्षण के समान था। हालाँकि, अनुच्छेद 243-डी(4) एससी और एसटी के पक्ष में (आनुपातिक तरीके से) अध्यक्ष पदों को आरक्षित करने के लिए एक स्पष्ट संवैधानिक आधार प्रदान करता है, साथ ही यह भी प्रावधान करता है कि पंचायती राज संस्थानों के प्रत्येक स्तर में सभी अध्यक्ष पदों में से एक तिहाई महिलाओं के पक्ष में आरक्षित किया जाएगा । जैसा कि पहले बताया गया है, अनुच्छेद 243-डी के प्रावधानों के पीछे के विचारों की तुलना अनुच्छेद 16(4) से नहीं की जा सकती है जो सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का आधार है। सेवा कानून के क्षेत्र में यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 16(4) की योजना के तहत एकल पदों को आरक्षित नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क के समर्थन में कुछ मिसालों की ओर सही ही इशारा किया है। हालाँकि, पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों के प्रत्येक स्तर में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण को खत्म करने के लिए एक ही प्रस्ताव को आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता है। पूरे राज्य में पंचायतों में गणना की जाने वाली सीटों के इस पूल में से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या इन श्रेणियों से संबंधित जनसंख्या के बीच अनुपात के आधार पर निर्धारित की जानी है।

और राज्य की कुल जनसंख्या. यह व्याख्या अनुच्छेद 243-डी(4) के पहले परंतुक को पढ़ने से स्पष्ट रूप से

समर्थित है। उक्त प्रावधान की भाषा का पुनः परीक्षण करना सार्थक होगा ”

(17) माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे निम्नानुसार व्यवस्था दी

“41. जैसा कि उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट हो सकता है, जब संदर्भ का ढांचा पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थानों के प्रत्येक स्तर पर गणना किए गए अध्यक्ष पदों का पूरा पूल है, तो शत-प्रतिशत आरक्षण की संभावना पैदा नहीं होती है। इस प्रयोजन के लिए, लोकसभा और संबंधित विधान सभा के चुनावों के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के साथ एक ढीली सादृश्यता खींची जा सकती है। सभा . इन निकायों के चुनावों से पहले, चुनाव आयोग कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करता है। इन आरक्षणों के प्रयोजन के लिए, संदर्भ का आधार किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा सीटों की कुल संख्या है , न कि क्रमशः सांसद या विधायक की एकल स्थिति। पंचायतों में अध्यक्ष पदों के संदर्भ में वापस आते हुए, इन पदों की एक निश्चित संख्या को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के पक्ष में आरक्षित करना स्वीकार्य है , बशर्ते कि यह अनुच्छेद 243-डी के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। (4)"

(18) निकाले गए अंशों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रोटेशन के सिद्धांत को आरक्षण के सिद्धांत पर अंकित किया गया है ताकि किसी विशेष गांव के सरपंच के पद को हमेशा के लिए आरक्षित किए जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके। उक्त गांव में सामान्य श्रेणी के मतदाताओं की पर्याप्त संख्या होना अथवा किसी गांव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिशत होने के बावजूद स्थायी रूप से आरक्षित न होना। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील को स्वीकार किया जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि धारा 9 की उप-धारा (7) के प्रावधान अधिनियम आरक्षण की सीमा पर लागू होगा न कि रोटेशन की अवधारणा पर।

(19) फैसले से अलग होने से पहले, विद्वान महाधिवक्ता हरियाणा के दो सहायक तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला इस तथ्य से संबंधित है कि ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/राज्य विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र हैं जो पहले आम चुनावों के बाद से लगातार आरक्षित रहे हैं। इस तर्क को केवल यह कहकर निपटाया जा सकता है कि संसदीय/राज्य विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। हरियाणा के महाधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि कुछ गाँव ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति का अनुपात नगण्य या शून्य प्रतिशत भी है। इस प्रकार, सरपंच का पद आरक्षित करना असंभव होगा और, इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा मांगी गई रोटेशन की अवधारणा की व्याख्या संभव नहीं होगी। इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इस उपधारा के अनुसार, आरक्षण उसी अनुपात में होगा जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सामान्य वर्ग के मतदाताओं की जनसंख्या से है। नतीजतन, यदि किसी विशेष गांव में अनुसूचित जाति के पंच के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो जाहिर तौर पर उस गांव को रोटेशन के सिद्धांत से बाहर करना होगा।

(20) ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर इन रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, सवाल यह उठता है कि क्या हाल ही में 6083 सरपंचों के चुनाव के साथ संपन्न हुई सरपंच पदों के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को शून्य कर दिया जाना चाहिए। **योगेन्द्र पाल और अन्य** *बनाम* **नगर पालिका, रोहतक (2)** के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में निर्धारित कानून के संभावित संचालन के सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में तय किया है: -

" .... अब इस न्यायालय के निर्णयों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है

शुरुआत **आईसी गोलक नाथ से पंजाब राज्य** *के विरुद्ध* कि न्यायालय परिस्थितियों की तात्कालिकताओं को पूरा करने के लिए राहत दे सकता है और इसके द्वारा निर्धारित कानून को प्रभावी बना सकता है। हमें सूचित किया गया है कि अब तक पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में नगरपालिका समितियों ने अपनी-अपनी नगर नियोजन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया है और कई मामलों में योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। केवल कुछ भूस्वामियों ने ही अदालतों का दरवाजा खटखटाया था और उनमें से कई मामलों में अदालतों के फैसले अंतिम हो गए हैं। इसलिए, इसे अस्थिर करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा (2) (1994) 5 एससीसी 709

मामलों की व्यवस्थित स्थिति. यदि संबंधित क़ानूनों के उक्त प्रावधान और उसके तहत किए गए भूमि अधिग्रहण को पूर्वव्यापी प्रभाव से शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो यह नगरपालिका समितियों के लिए पूरी तरह से अराजकता और असहनीय स्थिति पैदा कर देगा। इसलिए, हम यह घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं कि दोनों अधिनियमों के संबंधित प्रावधान इस निर्णय की तारीख से शून्य हो जाएंगे।

(21) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून के उपरोक्त कथन के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय में 6083 सरपंचों के चुनावों को रद्द करना उचित परिणामी निर्देश नहीं हो सकता है । हालांकि हमने ऊपर बताए अनुसार कानून में स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी इस स्तर पर पूरे चुनाव को शून्य करने से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरपंचों को पद से हटाने से टालने योग्य उथल-पुथल होगी और भारी प्रशासनिक व्यय होगा । हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसे मामलों में सफल उम्मीदवारों के पास लोकप्रिय जनादेश होता है। चूंकि रोटेशन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए उचित होगा कि हमने जो व्याख्या दी है उसे अगले पंचायत चुनाव से लागू किया जाए।

(22) ' अर्थात् रिट याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों में लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है। '

आरएनआर

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा